



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07082021-228822
CG-DL-W-07082021-228822

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17]	नई दिल्ली, जुलाई 25—जुलाई 31, 2021, शनिवार / श्रावण 3—श्रावण 9, 1943
No. 17]	NEW DELHI, JULY 25— JULY 31, 2021, SATURDAY / SRAVANA 3 – SRAVANA 9, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

आ.अ. 204.—यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, **76-डालटेनगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** झारखण्ड द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2020 के पत्र सं 61/निर्वा० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र सं 01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार **श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह** जो झारखण्ड के **76-डालटेनगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 मार्च, 2021 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 मार्च, 2021 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह** के द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** द्वारा अपने दिनांक 14 जून, 2021 के पत्र सं 402/निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** द्वारा अपने दिनांक 28 जून, 2021 के पत्र सं 470/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के **76-डालटेनगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी **श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह**, **आदर्श नगर ग्राम बैरिया, पो0-सुदना, थाना-शहर मेदिनीनगर, जिला-पलामू, पिन-822102, झारखण्ड** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं.झार.-वि.स./पूर्व अनु0-1/76/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 26th July, 2021

O. N. 204.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019**.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **76-Daltonganj** Assembly Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019**. As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **61/निर्वा०** dated **29th January, 2020** submitted by the District Election Officer, **Palamu** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No. **01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-42/2019/201**, dated **3rd February, 2020**, **Sh. Jagannath Prasad Singh**, contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** from **76-Daltonganj** Assembly Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Palamu**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand, a Show Cause Notice, dated **3rd March, 2021** was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Jagannath Prasad Singh** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **3rd March, 2021**, **Sh. Jagannath Prasad Singh**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Jagannath Prasad Singh**, on **19th March, 2021**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Palamu** vide his letter **402/निर्वा०** dated **14th June, 2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Palamu** vide his letter **470/निर्वा०** dated **28th June, 2021** it has been stated that **Sh. Jagannath Prasad Singh**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Jagannath Prasad Singh**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Sh. Jagannath Prasad Singh, Ardash Nagar Village Bairiya, Po- Sudna, Ps-Town Medininagar, District- Palamu, Jharkhand** and **Bahujan Samaj Party** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **76-Daltonganj** Assembly Constituency of the State of Jharkhand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.JKD-LA/ES-I/76/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

आ.अ. 205.—यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, **76-डालटेनगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** झारखण्ड द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2020 के पत्र सं 61/निर्वा० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र सं 01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार **श्री कृष्ण नन्द चौधरी** जो झारखण्ड के **76-डालटेनगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री कृष्ण नन्द चौधरी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 मार्च, 2021 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 मार्च, 2021 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री कृष्ण नन्द चौधरी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री कृष्ण नन्द चौधरी** के पिता **राम जी चौधरी** द्वारा दिनांक 03 जून, 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** द्वारा अपने दिनांक 14 जून, 2021 के पत्र सं 402/निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** द्वारा अपने दिनांक 28 जून, 2021 के पत्र सं 470/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री कृष्ण नन्द चौधरी** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री कृष्ण नन्द चौधरी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के **76-डालटेनगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले **राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी** के अभ्यर्थी **श्री कृष्ण नन्द चौधरी, ग्राम-बहेराखुर्द, डाकघर-हरिनामाड़, थाना-चैनपुर, जिला-पलामू, पिन-822110, झारखण्ड** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं.झार.-वि.स./पूर्व अनु0-1/76/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th July, 2021

O.N. 205.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019**.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **76-Daltonganj** Assembly Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019**. As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **61/निर्वा०** dated **29th January, 2020** submitted by the District Election Officer, **Palamu** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No.01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-42/2019/201, dated **3rd February, 2020**, **Sh. Krishn Nand Chaudhri**, contesting candidate of **Rashtriya Jansambhavna Party** from **76-Daltonganj** Assembly Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Palamu**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand, a Show Cause Notice, dated **3rd March, 2021** was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Krishn Nand Chaudhri** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **3rd March, 2021**, **Sh. Krishn Nand Chaudhri**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Ram Ji Choudhri** father of **Sh. Krishn Nand Chaudhri**, on **03rd June, 2021**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Palamu** vide his letter **402/निर्वा०** dated **14th June, 2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Palamu** vide his letter **470/निर्वा०** -dated **28th June, 2021** it has been stated that **Sh. Krishn Nand Chaudhri**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Krishn Nand Chaudhri**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Sh. Krishn Nand Chaudhri, Village- Baherakhurd, Po- Harinamad, Ps-Chainpur, District- Palamu, Pin-822110, Jharkhand** and **Rashtriya Jansambhavna Party** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **76-Daltonganj** Assembly Constituency of the State of Jharkhand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. JKD-LA/ES-I/76/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

आ.अ. 206.— यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, **76-डालटेनगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** झारखण्ड द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2020 के पत्र सं 61/निर्वा० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र सं 01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार **श्री ब्रजेश कुमार** जो झारखण्ड के **76-डालटेनगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री ब्रजेश कुमार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 मार्च, 2021 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 मार्च, 2021 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री ब्रजेश कुमार** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस पत्र **श्री ब्रजेश कुमार** द्वारा दिनांक 04 जून, 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **पलामू** द्वारा अपने दिनांक 14 जून, 2021 के पत्र सं 402/निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पलामू द्वारा अपने दिनांक 28 जून, 2021 के पत्र सं० 470/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री ब्रजेश कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री ब्रजेश कुमार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के 76-डाल्टेनगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री ब्रजेश कुमार, ग्राम-मझिगांवा, पो-नरसिंहपुर पथरा, थाना- चैनपुर, जिला-पलामू, पिन-822110, झारखण्ड को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं.झार.-वि.स./पूर्व अनु०-1/76/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th July, 2021

O.N. 206.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019**.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **76-Daltonganj** Assembly Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019**. As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **61/निर्वा०** dated **29th January, 2020** submitted by the District Election Officer, **Palamu** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No.01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-42/2019/201, dated **3rd February, 2020**, **Sh. Brajesh Kumar**, an **Independent** contesting candidate from **76-Daltonganj** Assembly Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Palamu**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand a Show Cause Notice, dated **3rd March, 2021** was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Brajesh Kumar**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **3rd March, 2021**, **Sh. Brajesh Kumar**, was directed to submit his representation in

writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Brajesh Kumar**, on **04th June, 2021**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Palamu** vide his letter **402/निर्वा० dated 14th June, 2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Palamu** vide his letter **470/निर्वा० -dated 28th June, 2021** it has been stated that **Sh. Brajesh Kumar**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Brajesh Kumar**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Brajesh Kumar, Village- Majhigawan, Po- Narsinhpur Pathra, Ps- Chainpur, District- Palamu, Pin-822110, Jharkhand** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **76-Daltonganj** Assembly Constituency of the State of Jharkhand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. JKD-LA/ES-I/76/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

आ.अ. 207.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के तहत आंध्र प्रदेश के **12 – विजयवाड़ा** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **12 - विजयवाड़ा** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जून, 2020** की रिपोर्ट के अनुसार **मोहम्मद ईशाक**, जो आंध्र प्रदेश के **12 – विजयवाड़ा** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2019 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **मोहम्मद ईशाक** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण - बताओ नोटिस सं. 76/एपी-एच पी/2019/ 12 दिनांक 20 फरवरी, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **मोहम्मद ईशाक** को इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और जिला निर्वाचन अधिकारी, **कृष्णा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा दर्ज करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कृष्णा** ने बताया है कि **मोहम्मद ईशाक** को उक्त नोटिस दिनांक **23.03.2021** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कृष्णा** ने दिनांक 20.04.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **मोहम्मद ईशाक** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **मोहम्मद ईशाक** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित रीति से लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मोहम्मद ईशाक** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के **12 – विजयवाड़ा** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मोहम्मद ईशाक** निवासी-मकान नं. एफएफ7, कोडुरु एन्कलेव, पितचैय्या स्ट्रीट, लब्बीपेट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/आंध्र प्रदेश-लोक सभा/ 2020]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2021

O.N. 207.—WHEREAS, the General Election to the House of People for **12-Vijaywada** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **12-Vijaywada** Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report dated **22nd June, 2020** submitted by the District Election Officer, **Krishna District, Andhra Pradesh, Mohammed Ishaq**, a contesting candidate from **12-Vijaywada** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019, has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AP-HP/2019/12, dated 20th February, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Mohammed Ishaq** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Mohammed Ishaq** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Krishna** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Krishna**, has reported that the said notice was served to **Mohammed Ishaq** on **23.03.2021**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Krishna** in his supplementary report dated 20.04.2021, reported that **Mohammed Ishaq** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Mohammed Ishaq** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Mohammed Ishaq** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mohammed Ishaq**, resident of **H. No. FF7, Koduru Enclave, Pithaiah Street, Labbipet, Vijaywada, Andhra Pradesh** and a contesting candidate from **12-Vijaywada** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh in the General Election to the House of People, 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/AP-HP/2020]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

आ.अ. 208.—यतः निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 39-नवादा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नवादा जिला, बिहार द्वारा दिनांक 27-6-2019 के पत्र सं० 1573/निर्वा० नवादा द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 10 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-39) नवादा -5773 के जरिए अग्रेषित की रिपोर्ट के अनुसार श्री राकेश रौशन जो बिहार के 39-नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नवादा जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राकेश रौशन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राकेश रौशन को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री राकेश रौशन के द्वारा 13 मार्च, 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, नवादा द्वारा अपने दिनांक 13 अप्रैल, 2021 के पत्र सं० 485/निर्वा., पटना के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नवादा द्वारा अपने दिनांक 13 अप्रैल, 2021 के पत्र सं० 485/निर्वा. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राकेश रौशन ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राकेश रौशन निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन

उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

“निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 39-नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री राकेश रौशन, निवासी ग्राम—शास्त्री नगर, मंगर विगहा, पो०—थाना—नवादा, नवादा, बिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं.बिहार—लो. स./पूर्व अनु.-1/39/2019]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th July, 2021

O.N. 208.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, the date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **39-Nawada Parliamentary Constituency** in Bihar State on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No.1573/Ele.Nawada dated 27th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Nawada** District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-39)Nawada-5773, dated 10th July, 2019, **Sh. Rakesh Raushan, Independent**, contesting candidate from **39-Nawada Parliamentary Constituency** in Bihar State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Nawada**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 19th March, 2020 was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Rakesh Raushan**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd February, 2020, **Sh. Rakesh Raushan**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Rakesh Raushan**, on 13th March, 2021. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Nawada** vide his letter No.485/Ele. dated 13th April, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Nawada** vide his letter No.485/Ele. dated 13th April, 2021. It has been stated that **Sh. Rakesh Raushan**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Rakesh Raushan**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

"Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Sh. Rakesh Raushan**, resident of **Village-Shastri Nagar, Mangar bigha, PO+PS-Nawada, Bihar** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **39-Nawada Parliamentary Constituency** of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.BR-HP/ES-I/39/2019]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

आ.अ. 209.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 24—मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री खेलन सिंह कोर्चे, जो छत्तीसगढ़ के 24—मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अम्बेडकराईट पार्टी आफ इंडिया अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री खेलन सिंह कोर्चे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री खेलन सिंह कोर्चे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री खेलन सिंह कोर्चे द्वारा 7 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि.—2018/व्यय लेखा/2020/4402 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री खेलन सिंह कोर्चे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री खेलन सिंह कोर्चे निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से

तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले अम्बेडकराईट पार्टी आफ इंडिया अभ्यर्थी श्री खेलन सिंह कोर्चे, ग्राम-जिल्दा, पोस्ट-कोडगार, तहसील-पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है ।

[फा. सं. छग.-विस./पूर्व अनु.-1/24/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th July, 2021

O.N. 209.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **24-Marwahi (ST) Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Khelan Singh Korche, Ambedkarite Party of India**, contesting candidate from **24-Marwahi (ST) Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Khelan Singh Korche**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, **Sh. Khelan Singh Korche**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Khelan Singh Korche**, on 7th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. No.Ele.P./LAEle.-2018/Exp./2020/4402 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. Ele.P./LAEle/Exp./2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that **Sh. Khelan Singh Korche**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Khelan Singh Korche**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Khelan Singh Korche**, resident of **Village-Jilda, PO-Kodgar, Tahsil-Pendra Road, District-Bilaspur, Chhattisgarh** and the contesting **Ambedkarite Party of India** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **24-Marwahi (ST) Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/24/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

आ.अ. 210.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री चन्द्रभान सिंह श्याम, जो छत्तीसगढ़ के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री चन्द्रभान सिंह श्याम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री चन्द्रभान सिंह श्याम को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री चन्द्रभान सिंह श्याम द्वारा 7 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4402 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री चन्द्रभान सिंह श्याम ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने

भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चन्द्रभान सिंह श्याम निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24—मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री चन्द्रभान सिंह श्याम, ग्राम—रूमगा, तहसील—मरवाही, जिला—बिलासपुर, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छग.—विस./पूर्व अनु.—1/24/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th July, 2021

O.N. 210.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **24-Marwahi(ST) Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Chandrabhan Singh Shayam, Independent**, contesting candidate from **24-Marwahi (ST) Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Chandrabhan Singh Shayam**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, **Sh. Chandrabhan Singh Shayam**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Chandrabhan Singh Shayam**, on 7th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. No.Ele.P./LAEle.-2018/Exp./2020/4402 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. Ele.P./LAEle/Exp./2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that **Sh. Chandrabhan Singh Shayam**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh.Chandrabhan Singh Shayam**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Chandrabhan Singh Shayam**, resident of **Village-Rumga, Tahsil-Marwahi Road, District-Bilaspur, Chhattisgarh** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **24-Marwahi(ST) Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/24/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

आ.अ. 211.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री गुलाब सिंह पैकरा, जो छत्तीसगढ़ के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री गुलाब सिंह पैकरा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री गुलाब सिंह पैकरा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री गुलाब सिंह पैकरा द्वारा 7 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4402 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गुलाब सिंह पैकरा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गुलाब सिंह पैकरा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन

उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय

राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से

तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24—मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री गुलाब सिंह पैकरा, ग्राम—आमाडाड, तहसील—पेण्ड्रा, जिला—बिलासपुर, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छग.—विस./पूर्व अनु.—1/24/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th July, 2021

O.N. 211.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **24-Marwahi (ST) Assembly Constituency** on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Gulab Singh Paikra, Independent**, contesting candidate from **24-Marwahi(ST)Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Gulab Singh Paikra**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, **Sh. Gulab Singh Paikra**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Gulab Singh Paikra**, on 7th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. No.Ele.P./LAEle.-2018/Exp./2020/4402 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. Ele.P./LAEle/Exp./2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that **Sh. Gulab Singh Paikra**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Gulab Singh Paikra**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Gulab Singh Paikra**, resident of **Village-Amadand, Teh-Pendra, District-Bilaspur, Chhattisgarh** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **24-Marwahi (ST) Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. CG-LA/ES-I/24/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

आ.अ. 212.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री लालजी मार्को, जो छत्तीसगढ़ के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री लालजी मार्को को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री लालजी मार्को को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री लालजी मार्को द्वारा 7 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4402 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री लालजी मार्को ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री लालजी मार्को निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी अभ्यर्थी श्री लालजी मार्को, मकान नं० 25 झिरनापोड़ी माझेटोला ग्राम-झिरनापोड़ी, तहसील-पेण्डारोड, गौरेला जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छग.-विस./पूर्व अनु.-1/24/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th July, 2021

O.N. 212.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **24-Marwahi(ST) Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Lalji Marko, Aam Aadmi Party**, contesting candidate from **24-Marwahi (ST) Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh.Lalji Marko**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, **Sh.Lalji Marko**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Lalji Marko**, on 7th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. No.Ele.P./LAEle.-2018/Exp./2020/4402 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. Ele.P./LAEle/Exp./2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that **Sh. Lalji Marko**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Lalji Marko**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Lalji Marko**, resident of **House No.25, Jhirnapodi Majhetola Village-Jhirnapodi, Tahsil-Pendra Road, Gaurela District-Bilaspur, Chhattisgarh** and the contesting **Aam Aadmi Party** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **24-Marwahi (ST) Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. CG-LA/ES-I/24/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

आ.अ. 213.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम, जो छत्तीसगढ़ के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम द्वारा 7 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4402 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24—मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना अभ्यर्थी श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम, ग्राम—तौली, पोस्ट—डोंगरिया, तहसील—पेण्डारोड, जिला—बिलासपुर, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है ।

[फा. सं. छग.—विस./पूर्व अनु.—1/24/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th July, 2021

O.N. 213.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **24-Marwahi (ST) Assembly Constituency** on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Umend Singh Pottam, Shiv Sena**, contesting candidate from **24-Marwahi (ST) Assembly Constituency** of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Umend Singh Pottam**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, **Sh. Umend Singh Pottam**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Umend Singh Pottam**, on 7th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No.Ele.P./LAEle.-2018/Exp./2020/4402 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. Ele.P./LAEle/Exp./2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that **Sh. Umend Singh Pottam**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Umend Singh Pottam**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Umend Singh Pottam**, resident of **Village-Tauli, PO-Dogariya, Tahsil-Pendra Road, District-Bilaspur, Chhattisgarh** and the contesting **Shiv Sena** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **24-Marwahi (ST) Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. CG-LA/ES-I/24/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

आ.अ. 214.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है,

और यतः, 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सुश्री शकुनतला साहू, जो छत्तीसगढ़ के 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए सुश्री शकुनतला साहू, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए सुश्री शकुनतला साहू, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस सुश्री शकुनतला साहू द्वारा 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने दिनांक 15 मई, 2020 के पत्र सं० 127/सा.नि./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने दिनांक 5 अगस्त, 2020 के पत्र सं० 229/सा.नि./निर्वाचन व्यय/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुश्री शकुनतला साहू, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने

भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि सुश्री शकुनतला साहू, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 44—कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अभ्यर्थी सुश्री शकुनतला साहू, म.न. 189 बाजार चौक लवन, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छग.-विस./पूर्व अनु-1/44/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th July, 2021

O.N. 214.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **44-Kasdol Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Ms. Shakuntala Sahu, Nationalist Congress Party** contesting candidate from **44-Kasdol Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 10th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Ms. Shakuntala Sahu**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 10th February, 2020, **Ms. Shakuntala Sahu**, was directed to submit her representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Ms. Shakuntala Sahu**, on 27th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** vide his letter No.127/Ele./Exp.Sec./2020 dated 15th May, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** vide his letter No.229/Ele./Ele.Exp./2020 dated 5th August, 2020 has stated that **Ms. Shakuntala Sahu**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Ms. Shakuntala Sahu**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ms. Shakuntala Sahu**, resident of **House No. 189 Bazar Chowk, District- Balodabazar Bhatapara, Chhattisgarh** and the contesting **Nationalist Congress Party** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **44-Kasdol Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. CG-LA/ES-I/44/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

आ.अ. 215.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है,

और यतः, 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री संजय बंजारे, जो छत्तीसगढ़ के 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले जनता कांग्रेस के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री संजय बंजारे, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री संजय बंजारे, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री संजय बंजारे द्वारा 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने दिनांक 15 मई, 2020 के पत्र सं० 127/सा.नि./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने दिनांक 5 अगस्त, 2020 के पत्र सं० 229/सा.नि./निर्वाचन व्यय/20208 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री संजय बंजारे, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संजय बंजारे, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस के अभ्यर्थी श्री संजय बंजारे, ग्राम-सकरी, पोस्ट-ससहा, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छग.-विस./पूर्व अनु.-1/44/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th July, 2021

O.N. 215.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **44-Kasdol Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter

No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Sanjay Banjare, Janta Congress** contesting candidate from **44-Kasdol Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 10th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh.Sanjay Banjare**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 10th February, 2020, **Sh.Sanjay Banjare**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Sanjay Banjare**, on 27th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** vide his letter No.127/Ele./Exp.Sec./2020 dated 15th May, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** vide his letter No.229/Ele./Ele.Exp./2020 dated 5th August, 2020 has stated that **Sh. Sanjay Banjare**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Sanjay Banjare**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Sanjay Banjare**, resident of **Gram-Sakri, Post-Sahsa, Tahsil-Palari District- Balodabazar Bhatapara, Chhattisgarh** and the contesting **Janta Congress** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **44-Kasdol Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/44/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

आ.अ. 216.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है,

और यतः, 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री गोविंद साहू, जो छत्तीसगढ़ के 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री गोविंद साहू, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री गोविंद साहू, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री गोविंद साहू द्वारा 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने दिनांक 15 मई, 2020 के पत्र सं0 127/सा.नि./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने दिनांक 5 अगस्त, 2020 के पत्र सं0 229/सा. नि./निर्वाचन व्यय/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गोविंद साहू, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गोविंद साहू, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री गोविंद साहू, ग्राम-सकरी, पोस्ट-ससहा-तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छग.-विस./पूर्व अनु.-1/44/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th July, 2021

O.N. 216.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **44-Kasdol Assembly Constituency** on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Govind Sahu, Independent** contesting candidate from **44-Kasdol Assembly Constituency** of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 10th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh.Govind Sahu**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 10th February, 2020, **Sh.Govind Sahu**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Govind Sahu**, on 27th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** vide his letter No.127/Ele./Exp.Sec./2020 dated 15th May, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** vide his letter No.229/Ele./Ele.Exp./2020 dated 5th August, 2020 has stated that **Sh.Govind Sahu**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh.Govind Sahu**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Govind Sahu**, resident of **Village-Sakari, Post-Sasha, Tahsil-Palari, District-Balodabazar Bhatapara, Chhattisgarh** and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **44-Kasdol Assembly Constituency** of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/44/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

आ.अ. 217.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है,

और यतः, 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दुर्गेश्वर प्रसाद साहू, जो छत्तीसगढ़ के 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दुर्गेश्वर प्रसाद साहू, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दुर्गेश्वर प्रसाद साहू, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री दुर्गेश्वर प्रसाद साहू द्वारा 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने दिनांक 15 मई, 2020 के पत्र सं० 127/सा.नि./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने दिनांक 5 अगस्त, 2020 के पत्र सं० 229/सा.नि./निर्वाचन व्यय/20208 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दुर्गेश्वर प्रसाद साहू, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दुर्गेश्वर प्रसाद साहू, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 44-कसडोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री दुर्गेश्वर प्रसाद साहू, मकान नं० 185 नारायणपुर पारा सीरियाडीह, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छग.-विस./पूर्व अनु.-1/44/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th July, 2021

O.N. 217.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **44-Kasdol Assembly Constituency** on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Durgeshwar Prasad Singh, Independent** contesting candidate from **44-Kasdol Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 10th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh.Durgeshwar Prasad Singh**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 10th February, 2020, **Sh. Durgeshwar Prasad Singh**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Durgeshwar Prasad Singh**, on 27th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** vide his letter No.127/Ele./Exp.Sec./2020 dated 15th May, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Balodabazar Bhatapara** vide his letter No.229/Ele./Ele.Exp./2020 dated 5th August, 2020 has stated that **Sh.Durgeshwar Prasad Singh**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh.Durgeshwar Prasad Singh**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Durgeshwar Prasad Singh**, resident of **House No. 185, Narayanpur, Near Siriasidh, Chhattisgarh** and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **44-Kasdol Assembly Constituency** of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/44/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.